

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 1994

संख्या पी0 सी0- 94/796- पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाण के राज्यपाल नीचे दी गई और इससे संलग्न नक्शों में दर्शायी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार गांव खैंटावास, तहसील और जिला गुडगांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आस-पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र सहर्ष घोषित करते हैं, अर्थात्:-

अनुसूची

गांव खैंटावास, तहसील और जिला गुडगांव के राजकीय प्राईमरी विद्यालय के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा-अनुसूची की ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी) 409/93 दिनांक 25 मई, 1993 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर : बिन्दु 'क' से लेकर अर्थात् गांव खैंटावास की पश्चिमी सीमा पर स्थित आयतसंख्या 24 का उत्तर-पश्चिमीकोना, उसकेबाद गांव खैंटावास की उत्तरी सीमा के साथ-2 उत्तर तथा पूर्व की ओर बिन्दु 'ख' तक जहां यह गांव हमीरपुर की पश्चिमी सीमा के साथ मिलती है।

पूर्व: उसके बाद गांव खैंटावास की पूर्वी सीमा के साथ-2दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण की ओर बिन्दु 'ग' तक जहां यह गांव धनवास की उत्तरी-पूर्वी सीमा के साथ मिलती है।

दक्षिण: उसके बाद गांव खैंटावास की दक्षिणी सीमा के साथ-2 दक्षिणी-पश्चिमी और पश्चिम कीओर बिन्दु 'घ' तक जहां यह गांव पाटली हाजीपुर की आयत संख्या 81 के दक्षिण-पूर्वी कोन के साथ मिलती है, उसके बाद गांव पाटली हाजीपुर की आयत संख्या 81 और 80 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर , उसके बाद उक्त गांव की आयत संख्या 80 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 उत्तर कीओर, उसके बाद गांव पाटली हाजीपुर की आयत संख्या 73 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ओर बिन्दु 'ड' तक जोगांव पाटली हाजीपुर की आयत संख्या 73 का दक्षिण-पश्चिम कोना है।

पश्चिम: उसके बाद गांव पाटली हाजीपुर की आयत संख्या 73 तथा 72 और गांव खैंटावास की आयत संख्या 28 तथा 24 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर बिन्दु 'क' तक अर्थात् आरम्भिक बिन्द तक।

प्रदीप कुमार,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

142

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN.31, 1994 (MAGHA 11, 1915 SAKA)

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Notification

The 25th January, 1994

No. PC-94/796- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (I) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby declares the area around the Government Primary School at village Khaintawas, tehsil and district Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of the controlled area around Government Primary School at village Khaintawas, tehsil and district, Gurgaon to be read with the Drawing No. DTP(G) 409/93, dated 25th May, 1993.

North : Starting from point 'A' i.e. north western corner of Rect. No. 24 located on western boundary of Village Khaintawas, thence towards north and east along the northern boundary of Village Khaintawas upto point 'B' where it meets with the western boundary of Village Hamirpur.

East : Thence towards south-west and south along the eastern boundary of Village Khaintawas upto point 'C' where it meets with the north-eastern boundary of Village Dhanawas.

South: Thence, towards south-west and west along the southern boundary of Village Khaintawas upto point 'D' which is the south-east corner of Rect. No. 81 of village Patli Hazipur, thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 81 and 80 of Village Patli Hazipur, thence towards north along the western boundary of Rect. No. 80 of above said village , thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 73 of Village Patli Hazipur upto point 'E' which is the south-west corner of Rect. No. 73 of Village Patli Hazipur..

West: Thence, towards north along the western boundary of Rect. No.73 and 72 Village Patli Hazipur and Rect. No.28 and 24 of Village Khantawas upto point 'A' i.e. the point of start.

PRADEEP KUMAR
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.